भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BA 097716

कैन्टीन किरायेदारी हेतु अनुबन्ध पत्र

सचिव, नवयुग कन्या महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर, लखनऊ. प्रथम पक्ष ....
देवेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री जगदीश नारायण गुप्ता, निवासी–155/15 क, मौलवीगंज लखनऊ..द्वितीय पक्ष

1. प्रथम पक्ष कैन्टीन लगाने का स्थान नवयुग कन्या महाविद्यालय परिसर के अन्दर द्वितीय पक्ष को किराये पर दे रहा है।
2. महाविद्यालय द्वारा कैम्पस के अन्दर जो स्थान उपलबध कराया जायेगा उसमें द्वितीय पक्ष द्वारा कोई स्थाई निर्माण नहीं किया जायेगा।
3. द्वितीय पक्ष कैन्टीन किसी अन्य को किराये पर नहीं देगा।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा कैन्टीन में जो भी सामग्री रखी जायेगी उसकी मूल्य सूची कैन्टीन के बाहर लगायेगा एवं उसकी एक प्रति प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायेगा।
5. खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं कैन्टीन सामग्री की सुरक्षा पर द्वितीय पक्ष पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगा एवं कूड़े की सफाई व्यवस्था द्वितीय पक्ष को स्वयं करनी होगी।
6. द्वितीय पक्ष कैन्टीन में अनुशासन बनाये रखेगा तथा उसे प्रथम पक्ष द्वारा महाविद्यालय स्थान के अतिरिक्त केवल पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होगी।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा कैन्टीन प्रारम्भ से पूर्व रू0 10,000.00 (रूपये दस हजार मात्र) प्रतिभूति राशि सचिव, नवयुग कन्या विद्यालय सोसाइटी के पक्ष में जमा करना होगा। जो कि कैण्टीन खाली करने पर वापस किया जायेगा, जिस पर कोई ब्याज देय न होगा। (पिछले वर्ष जमा)
8. द्वितीय पक्ष को वार्षिक कैन्टीन का किराया रू0 70,000.00 (रूपये सत्तर हजार मात्र) देना होगा। इसमें प्रतिभूति राशि सम्मिलित नहीं है। उक्त धनराशि रूपये 30,000.00 माह जुलाई, 2015 के प्रथम सप्ताह में तथा रू0 15,000.00 अगस्त, 2015 के प्रथम सप्ताह में तथा शेष धनराशि रू0 15,000.00 माह सितम्बर, 2015 के प्रथम सप्ताह में तथा रू0 10,000.00 माह अक्टूबर, 2015 के प्रथम सप्ताह में जमा कराना होगा। यदि किन्ही कारणों वश पैसा सही समय से नहीं जमा होगा तो उस स्थिति में 15% प्रतिमाह के हिसाब से ब्याज देय होगा।

क्रमशः........02 पर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 097717

भारतीय गैर न्यायिक एक सौ रूपये के मूल्य के स्टैम्प पर संख्याः बी0ए0 097716, 097717 दिनांकः 29.06.2015 के क्रम संख्या 8150 पर कैन्टीन किरायेदारी हेतु अनुबन्ध पत्र के क्रमांक 08 से आगे...

9. बिजली व्यय हेतु महाविद्यालय द्वारा नया सब मीटर लगाया जायेगा। जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा उपभोग किये गए यूनिट कामर्शियल दर के हिसाब से प्रतिमाह भुगतान करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष कैन्टीन में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक स्थिति नहीं होने देगा या ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे छात्राओं, महाविद्यालय स्टाफ को कोई परेशानी हो तथा यह कैन्टीन केवल महाविद्यालय के लिये है। अतः बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतया वर्जित होगा।

11. कैन्टीन में कार्यरत् कर्मियों का फोटो प्राचार्या द्वारा प्रमाणित होगा और उसे वह महाविद्यालय परिसर में अपने पास रखेगा।

12. उपरोक्त किसी भी पैरा का उल्लंघन होने पर यह अनुबन्ध स्वतः निरस्त हो जायेगा। उक्त में किसी भी प्रकार का किरायेदारी विवाद होने पर प्रबन्ध समिति का निर्णय अन्तिम होगा। यह अनुबन्ध जुलाई, 2015 से जून, 2016 तक किया जा रहा है। एक वर्ष पूर्ण होने पर यह अनुबन्ध स्वतः समाप्त हो जायेगा।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष,

सचिव,
नवयुग कन्या विद्यालय सोसाइटी,
लखनऊ

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष,

उक्त अनुबन्ध पत्र मेरे समक्ष दोनो पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

गवाह नं0–01
हस्ताक्षर पूरा पता सहित।
नवयुग कन्या महाविद्यालय
लखनऊ

गवाह नं0–02
हस्ताक्षर पूरा पता सहित।
(1) विजय नारायण गुप्ता
(2) ASHISH KUMAR GUPTA
(1) 155/15क महेश प्रसाद स्ट्रीट मौलवीगंज लखनऊ
(2) 155/15क महेश प्रसाद स्ट्रीट मौलवीगंज लखनऊ